झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गोड्डा

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के पत्रांक WDP/8/16/2005/1518, दिनांक 03.08.2016 एवं उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गोड्डा के दिनांक 23.03.2017 की समीक्षा बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में लघुकालीन संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। अतः इच्छुक एवं योग्यताधारी अभ्यर्थी दिनांक 15-5-2017 के अपराह्न 05:00 बजे तक recruitment.jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्र०	पदनाम	कुल रिक्ति					न्यूनतम अहर्त्ता
		अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व०	पि०व०	अना०	
1	पूर्णकालिक गणित शिक्षिका	0	0	1	0	0	संबंधित विषय में स्नातक के साथ बी.एड एवं संबंधित विषय में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही उच्चतर शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी।
2	पूर्णकालिक भाषा शिक्षिका (हिन्दी, अंग्रेजी)	1	0	1	0	2	
3	पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षिका	0	1	0	0	2	
4	पूर्णकालिक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका	1	0	1	0	1	
5	पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षिका	0	0	0	1	0	स्नातक के साथ शारीरिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।
6	रसोईया	0	0	0	0	1	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास तथा पाककला में कार्य अनुभव अनिवार्य
7	चौकीदार	2	0	1	0	0	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास तथा साइकिल तथा मोटरसाइकिल चलाने का अनुभव अनिवार्य। प्रशिक्षित एवं कार्यानुभव वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

आवश्यक शर्तें :-

1. केवल महिला आवेदक ही आवेदन कर सकती है।
2. आवेदन recruitment.jharkhand.gov.in वेबसाईट पर दिनांक .... को .... बजे से दिनांक.................... को .... बजे तक ऑनलाईन भरा जायेगा।
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2096, दिनांक 25.04.2011 में निहित प्रावधान के अनुसार दिनांक 01-01-2016 को अधिकतम उम्र सीमा निम्नांकित है :-

कोटि	अधिकतम उम्र	विकलांगों के लिए अधिकतम उम्र
अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	38 वर्ष	43 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष	45 वर्ष

5. उपर्युक्त पद लघुकालीन संविदा आधारित एवं अस्थायी हैं। भविष्य में आपके द्वारा किसी भी प्रकार की स्थायीकरण की मांग नहीं की जा सकती है।
6. अभ्यर्थी का चयन अथवा परित्याग झारखण्ड शिक्षा परियोजना के नियमानुसार शासित होगा।
7. विज्ञापन को भविष्य में कार्य हित में शिथिल/रद्द/संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. चयन हेतु लिखित जाँच परीक्षा/अन्तर्वीक्षा या दोनो ही आयोजित किया जाएगा। उपरोक्त में भाग लेने हेतु किसी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. उपर्युक्त पदों के लिये परिलब्धि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के नियमानुसार देय होगा।
10. मेधा अंक का निर्धारण मैट्रिक, इन्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातक प्रशिक्षित के प्रतिशत के योगफल में चार से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अभ्यर्थी का शैक्षणिक मेधा अंक होगा। स्नातक प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यताधारी के मामलों में सहायक विषयों एवं प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यता के विषयों के प्राप्तांकों का समेकित प्रतिशत उनके स्नातक परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत होगा। किन्तु प्राप्तांक प्रतिशत की गणना में अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।